

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक

16/कोटा 1996

इस दस्तावेज की मूल प्रति संस्था की
पुस्तकालय में संचित है।
-97
रजिस्ट्रार
संस्थाएं, कोटा

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री विजय कृष्ण शिखा

संस्थाएं, कोटा जिला-कोटा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण

अधिनियम, 1958 [राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958] के अन्तर्गत

रजिस्ट्रीकरण आज किया गया



यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज

दिनांक चार माह जुलै सन् एक हजार नौ सा दिसम्बर कोटा

में दिया गया।



श्री विजय कृष्ण शिखा संस्थान
संस्थाएं, कोटा (राज.)
संस्थाएं, कोटा (राजस्थान)

श्री विजय कृष्ण शिखा संस्था
संस्थाएं, कोटा

संस्थाएं - कोटा (राज.)
संस्थाएं, कोटा (राजस्थान)